समाहरणालय, सिमडेगा

कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सिमडेगा।

(Email ID-meso.simdega@gmail.com)

इच्छा की अभिव्यक्ति

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विषेष केन्द्रीय सहायता (SCA to TSP) मद के अन्तर्गत आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1195 दिनांक 08.06.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये आवंटन से निम्न योजना के कार्यान्वयन हेतु इच्छुक अनुभवी सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों से प्रस्ताव दिनांक 12.12.2016 के अपराहन् 3.00 बजे तक निम्न शर्त्तों के साथ आमंत्रित किये जाते हैं। सभी प्रस्ताव ITDA कार्यालय, सिमडेगा में प्राप्त किये जायेंगे।

योजनाओं की विवरणी

क्र0 सं0	स्वीकृत वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2015-16	Irrigation and Sustainable Agriculture	76.920	
2	2015-16	Cash Crop Promotion among 3000 ST families.	78.000	
3	2015-16	Fishery Development	46.150	
4	2015-16	Poultry Backyard	30.770	
5	2015-16	Training of STs for ANM/Nurses/Lab Technicians.	18.460	
6	2015-16	Training of ST Students in Science, Maths and English Streams.	7.690	
		कुल योगः–	**257.99**	

आवश्यक शर्त्ते एवं अहर्त्ताएँः–

1. संस्था, एन0जी0ओ0 का निबंधन कम से कम 5 (पाँच) वर्ष पूर्व का होना चाहिए।
2. संस्था द्वारा विगत 03 (तीन) वित्तीय वर्षों का सक्षम स्तर से अंकेक्षण कराने एवं Balance sheet का प्रतिवेदन तथा 03 (तीन) वर्षों का अद्यतन आयकर (Assessment Year 2016-17 तक) रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. योजना का कार्यान्वयन जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत दिषा निर्देषों के आधार पर किया जायेगा।

4- संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये कार्यों का ब्यौरा कार्यादेष की प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5. योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्था के पास पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन का होना आवष्यक होगा।

6. संस्था को अपनी चल–अचल सम्पति का पूर्ण ब्यौरा देना होगा।

7. संस्था के पास वैतनिक/अवैतनिक मानदेय पर कार्यरत तकनीकी एवं अन्य कर्मियों की विवरणी, उनके योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कार्यानुभव के साथ संलग्न करना होगा।

8. संस्था के OFFICE BEARER एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं, इस आषय का षपथ पत्र संलग्न करना होगा।

9. संस्था का बायलॉज/स्मृति पत्र/नियमावली की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा। साथ ही प्रस्ताव के साथ INDEX संलग्न करना होगा।

10. उक्त योजना में कम से कम दो परियोजना में कार्य किये हुए अनुभवी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। किये गये कार्य की कार्यादेष प्रति संलग्न करना होगा।

11. योजना क्रमांक 05 के लिए संबंधित संस्था को भारतीय नर्सिंग परिषद्, दिल्ली/ए0आई0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

12. संस्था को 12A, 80G एवं PAN No, TAN/TIN No. की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

13. रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम एवं संबंधित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्य करने वाली सरकारी/गैर सरकारी एवं वैसी संस्था जिन्हें अनुभव प्राप्त हो, कागजात संलग्न रहने पर प्राथमिकता दी जायेगी।

14. गैर सरकारी संस्था का टर्न ओवर सालाना 25.00 लाख रू0 से अधिक होना अनिवार्य है।

15. संस्था स्वच्छ छवि की हो, एवं किसी सरकारी कार्यालय द्वारा वित्तीय अनियमितता/काली सूची में डाले जाने का आरोप नहीं होने का शपथ पत्र (नोटरी/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित) मूल रूप में अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। शपथ पत्र इस सूचना के प्रकाषन की तिथि के बाद का ही मान्य होगा।

16. मुर्गीपालन/मत्स्य पालन योजना का कार्यान्वयन क्रमषः जिला पषुपालन पदाधिकारी/जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी के स्वीकृत प्रारूप एवं दर पर करना होगा।

17. क्रियान्वित योजना का Social Audit कराकर उसकी प्रति भुगतान के समय प्रस्तुत करना होगा।

18. निर्धारित तिथि एवं समय के पष्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. किसी भी प्रकार के वैधानिक दावे का निष्पादन सिमडेगा जिला क्षेत्राधीन न्यायालय में निष्पादित होगा।

20. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय विज्ञापित सूचना को रद्द् करने, सूचना में उल्लिखित तिथि को आगे बढ़ाने अथवा प्रकाषित शर्त्तों/अहर्त्ताओं में परिवर्त्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

उपायुक्त,
सिमडेगा।